रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266604
CG-DL-E-03102025-266604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947
No. 289] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर -12/2025)

विषय: चीन जन गण, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फॉयल" के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. **फा.सं. 7/19/2025-डीजीटीआर.**—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के रूप में देखते हुए, मेसर्स रविराज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स

प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स। एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'आवेदक कंपनियां' कहा जाएगा) ने चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्यूमीनियम फॉयल 80 माइक्रोन" (जिसे आगे '80 माइक्रोन से नीचे के उत्पाद' या 'संबद्ध सामान' कहा जाएगा) के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उन्हें पहले ही हटा दिया जाए, उसे लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएंगे और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी अपेक्षित हे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है और क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पूर्ववर्ती जाँचों की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकरण ने 15 दिसंबर 2015 को अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी के तहत 'एल्यूमीनियम फॉयल' की जांच शुरू की। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक का एल्यूमीनियम फॉयल था। प्राधिकरण ने 10 मार्च 2017 को जांच में अंतिम निष्कर्ष जारी किए, जिसमें 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फॉयल पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय ने 16 मई 2017 की अधिसूचना संख्या 23/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत शुल्क लगाया।

4. इसके बाद, प्राधिकरण ने 20 जून 2020 की अधिसूचना संख्या 06/21/2020-डीजीटीआर के तहत संबंधित वस्तुओं की जांच शुरू की, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से "80 माइक्रोन और उससे कम एल्यूमीनियम फॉयल" के आयात की जांच की गई। इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्युमीनियम फ़ॉइल शामिल नहीं थी, क्योंकि इस उत्पाद पर पहले से ही शुल्क लागू थे। विस्तृत जाँच के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विषयगत वस्तुएँ चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से डंप की गई कीमतों पर निर्यात की गईं और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई। प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/21/2020-DGTR, दिनांक 18 जून 2021 के माध्यम से निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफ़ारिश की, जिन्हें वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (ADD), दिनांक 16 सितंबर 2021 के माध्यम से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लगाया था।

5. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/3/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के तहत मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत की थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि 26 मार्च 2025 को अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम के तहत थाईलैंड में उत्पादकों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की राशि पुन: निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

6. अलग से, चीन पीआर से एल्युमीनियम फॉयल के आयात की एंटी-डंपिंग जांच अधिसूचना संख्या 06/35/2023-DGTR दिनांक 21 मार्च 2024 के तहत शुरू की गई थी। उक्त जांच में चीन पीआर से 5.5 माइक्रोन से कम

एल्युमीनियम फॉयल को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इसे 2021 में संपन्न जांच के उत्पाद दायरे में शामिल किया गया था। अधिसूचना संख्या 06/35/2023-DGTR दिनांक 28 अगस्त 2024 के तहत अनंतिम शुल्क लगाए गए थे। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 02/2025-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 17 मार्च 2025 के तहत प्रारंभिक शुल्क लगाए। इसके बाद, प्राधिकरण ने 20 मार्च 2025 के अंतिम निष्कर्षों के तहत निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2025-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 19 जून के तहत लगाया गया। ये शुल्क वर्तमान में लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

7. मूल जाँच के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद 80 माइक्रोन और उससे कम का एल्युमीनियम फ़ॉइल है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जाँच के अनुसार, उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"80 माइक्रोन और उससे कम का एल्युमीनियम फ़ॉइल, चाहे वह मुद्रित हो या कागज़, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की पैकेजिंग सामग्री से जुड़ा हो (अनुमेय सहनशीलता सहित)" जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन की मोटाई का एल्युमीनियम फ़ॉइल।

ii. एलु एलु लैमिनेट

iii. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टेड

iv. एल्युमीनियम फ़ॉइल कम्पोजिट

v. 500 मिमी से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फ़ॉइल

vi. नक्काशीदार या गढ़े हुए एल्युमीनियम फ़ॉइल

vii. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल

viii. संगत गैर-चढ़ाया हुआ एल्युमीनियम फ़ॉइल से आवृत

ix. बीयर की बोतल के लिए एल्युमिनियम फ़ॉइल

x. एल्युमिनियम-मैंगनीज़-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैंगनीज़-सिलिकॉन आधारित मिश्रधातुएँ, चाहे क्लैड हों या अनक्लैड

xi. एधेसिव टेप

xii. कलर कोटेड एल्युमिनियम फ़ॉइल

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात भारत में निम्नलिखित कोडों के अंतर्गत होता है: 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदकों ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बीच निष्पक्ष तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव किया है, जैसा कि मूल जांच में एक प्रस्तावित परिवर्तन के साथ विचार किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि अब 'एलू-एलू लैमिनेटेड कन्वर्टेड' का आयात 40-45 माइक्रोन की मोटाई की रेंज में किया जा रहा है और आयात भी इसी रेंज में हो रहा है। तदनुसार, 'एलू-एलू लैमिनेटेड कन्वर्टेड' के लिए माइक्रोन की रेंज 40-60 माइक्रोन प्रस्तावित की गई है, जबकि पहले इसे 45-60 माइक्रोन माना जाता था।

10. आवेदकों द्वारा सुझाव दी गई पीसीएन नीचे दी गई है। हितबद्ध पक्षकार इस जाँच के उद्देश्य से पीसीएन पर अपनी टिप्पणियाँ इस जाँच की शुरूआत होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।

क्रसं	फ़ॉइल का प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर/परिवर्तित	पीसीएन कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एल्यूमीनियम एल्यूमिनियम स्टॉक/फ़ॉइल	40-60	बेयर फोइल	एएसबीएफ
2	घरेलू फ़ॉइल/घरेलू फ़ॉइल	8-22	बेयर फोइल	एचएफबीएफ
3	लाइट गेज (एलजी)	7- < 20	बेयर फोइल	एलजीबीएफ
4	मध्यम गेज (एमजी)	20-80	बेयर फोइल	एमजीबीएफ
5	अर्ध-कठोर कंटेनर (एसआरसी)	29-80	बेयर फोइल	एसआरबीएफ
6	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	0- <7	बेयर फोइल	यूजीबीएफ
7	बैटरी फ़ॉइल	9-20	बेयर फोइल	बीएफबीएफ
8	संधारित्र	4.5 - 20	बेयर फोइल	सीएफबीएफ
9	*कोई अन्य बेयर फ़ॉइल (क्रम संख्या 1-8 के अंतर्गत नहीं)		बेयर फोइल	ओएफबीएफ
10	सिगरेट फ़ॉइल	5.5-7	परिवर्तित	सीएफसीएफ
11	एल्यूमीनियम एल्यूमिनियम परिवर्तित/लेमिनेटेड	40-60	परिवर्तित	एएससीएफ
12	घरेलू/घरेलू फ़ॉइल परिवर्तित	8-22	परिवर्तित	एचएफसीएफ
13	एसआरसी परिवर्तित	29-80	परिवर्तित	एसआरसीएफ
14	मध्यम गेज (एमजी) परिवर्तित	20-80	परिवर्तित	एमजीसीएफ
15	लाइट गेज (एलजी) परिवर्तित	7-<20	परिवर्तित	एलजीसीएफ
16	बैटरी फ़ॉइल परिवर्तित	9-20	परिवर्तित	बीएफसीएफ
17	कोई अन्य परिवर्तित फ़ॉइल (क्रम संख्या 10-16 के अंतर्गत नहीं)		परिवर्तित	ओएफसीएफ
18	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	0- <7	परिवर्तित	यूजीसीएफ

ग. <u>समान वस्तु</u>

11. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित किए गए आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान आवेदन, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे की जाँच प्राधिकारी द्वारा मूल जाँच में भी की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

12. चूँकि यह एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, इसलिए संबद्ध देशों का दायरा पिछली जाँच के अधीन देशों तक ही सीमित है, अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के विरुद्ध तक सीमित है।

ङ. <u>जाँच अवधि</u>

13. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) की है और क्षति जाँच अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और पीओआई तक की अवधि को शामिल करेगी।

च. घरेलू उद्योग और स्थिति

14. यह आवेदन मेसर्स रविराज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों के अलावा, संबद्ध वस्तुओं के 26 अन्य घरेलू उत्पादक हैं। प्राधिकारी ने इन अन्य ज्ञात उत्पादकों से भी उनके उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है। तथापि, अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

15. रविराज फोइल्स लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड और एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड ने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, तथापि यह देखा गया है कि आयात मात्रा में कम है और उनके अपने उत्पादन, आयात और खपत की तुलना में नगण्य है।

16. आवेदकों ने कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया है और उसे इस स्तर पर उपयुक्त माना गया है। इस प्रकार, उपलब्ध सूचना के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के अनुसार घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

छ. कथित पाटन का आधार

क. चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

17. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8(2) का संदर्भ दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8(3) के अनुसार बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

18. इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत रुप से समायोजित किया गया है, जिसका निर्धारण भारत में उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद किया गया है। जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को विधिवत रुप से समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है।

ख. इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदकों ने दावा किया है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में कीमत से संबंधित आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं और वे इंडोनेशिया और मलेशिया में उत्पादकों के वास्तविक सौदा कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। आवेदकों ने आगे दलील दी है कि चूँकि पीसीएन की विविधता बहुत अधिक है और समर्पित कोडों का अभाव है, इसलिए आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जानकारी भी प्राधिकारी

के पास किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध नहीं है। इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य का आकलन भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के साथ-साथ संबंधित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के आधार पर किया गया है। जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को विधिवत रुप से समायोजित करने के बाद, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

ग. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

20. आवेदकों ने दलील दी है कि कच्ची सामग्री, संबद्ध वस्तुओं की कुल उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी अनुरोध किया गया है कि प्राथमिक कच्ची सामग्री- एल्युमीनियम फ़ॉइल स्टॉक – थाईलैंड के उत्पादकों द्वारा चीन, जो एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था है, में संबद्ध कंपनियों से प्राप्त किया जाता है। यह दावा किया गया है कि चीन से प्राप्त कच्ची सामग्री की इनपुट लागत को अस्वीकार किया जाना चाहिए। जाँच की प्रक्रिया के दौरान इस दावे की आगे जाँच की जाएगी। थाईलैंड के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान भारत में उत्पादन की अनुमानित लागत, संबंधित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के आधार पर लगाया गया है।

21. जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को विधिवत रुप से समायोजित करने के बाद, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

घ. निर्यात कीमत

22. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा और बैंक प्रभार के लिए समायोजन किए गए हैं।

ङ. पाटन मार्जिन

23. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जाना जारी है।

ज. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और कारणात्मक संबंध

24. आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि आयातों की मात्रा अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है और ये आयात पाटित एवं क्षतिकारी कीमतों पर किए जा रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन प्रतिकूल बना हुआ है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर लाभ में गिरावट आई है। माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा कम है। आवेदकों ने दावा किया है कि पाटन और क्षति की संभावना है और उन्होंने मौजूदा अधिशेष क्षमता, निर्यातोन्मुख होने, अन्य देशों द्वारा व्यापार सुधारात्मक उपायों, एक स्रोत से दूसरे स्रोत पर पाटन के स्थानांतरण, कीमतों में निरंतर कटौती जैसे कारकों के बारे में जानकारी प्रदान की है जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हैं।

झ. पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

25. अत: घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के बारे में स्वयं को संतुष्ट करते हुए, नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ

पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा शुल्कों की समाप्ति पर पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

26. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत यथा उल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

27. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई मेल पतों-jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in और उसकी प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस-वर्ल्ड फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो। ऐसे अनुरोध जिन्हें देखने के लिए विशेष साफ्टवेयर अपेक्षित हों, स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

28. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकोंनिर्यातकों/, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढ़ंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित ढ़ग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in)को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से दिनों के 30भीतर ई मेल पतों-jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in और उसकी प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए जिस तारीख को प्राधिकारी ने इसे भेजा था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया है। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने के नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे परे्षित किए जाने के एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में (अपने हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

33. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय लेना चाहता है, तो उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

34. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसका एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

35. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे। यदि अनुरोध अनेक भागों में किए जाते

हैं, तो प्रत्येक भाग में एक सूचकांक तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें संलग्न सभी भागों/ईमेल और दस्तावेजों की विषय-वस्तु दिए गए हों। कृपया सभी अनुरोधों में पृष्ठ सं. लिखना सुनिश्चित करें।

36. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनुवादित संस्करण उपलब्ध कराया जाए।

37. "गोपनीय "अगोपनीय" या "अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "अगोपनीय" या "गोपनीय"अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं औरअथवा अन्य सूचना / जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से साराशीकृत किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

40. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह दर्शा सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और नियमों के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश प्राधिकारी के प्रावधानों के लिए संतोषजनक क्यों नहीं होना चाहिए।

41. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से के दिनों के भीतर 7 घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

42. नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय संस्करण या पर्याप्त कारण कथन के बिना किए गए किसी भी अनुरोध, तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

43. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

44. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार करने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

45. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित न करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. असहयोग

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी

घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट पदाधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

Case No. AD (SSR-12/2025)

Subject: Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of "Aluminium Foil 80 micron and below" originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand.

1. **F. No. 7/19/2025-DGTR.—**Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act'), and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s. Raviraj Foils Ltd., M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s. Shyam Sel and Power Ltd., M/s. Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., and M/s. SRF Altech Ltd. (hereinafter referred to as the 'Applicants' or 'Applicant companies') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on the imports of "Aluminium Foil 80 micron and below" (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand.

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the anti-dumping duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of Previous Investigations

3. The Authority initiated an investigation into 'aluminium foil' vide Notification No. 14/06/2015-DGAD on 15th December 2015. The product under consideration in this investigation was aluminium foil ranging from 5.5 micron to 80 micron. The Authority issued final findings in the investigation on 10th March 2017, recommending duty on aluminium foil ranging from 5.5 micron to 80 micron. The Ministry of Finance imposed the duties vide Notification No. 23/2017-Customs (ADD) dated 16th May 2017.

4. Thereafter, the Authority initiated an investigation into the subject goods vide Notification No. 06/21/2020-DGTR dated 20th June 2020, into imports of "Aluminium Foil 80 micron and below" from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia. The scope of the product under consideration in this investigation excluded aluminium foil of 5.5 micron to 80 micron from China PR, as duties were already in force on this product. Following a detailed investigation, the Authority concluded that the subject goods were exported from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia at dumped prices and consequently the domestic industry suffered material injury. The Authority vide its Final Findings No. 6/21/2020-DGTR, dated 18th June 2021 recommended imposition of definitive anti-dumping duties, which were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 51/2021-Customs (ADD), dated 16th September 2021 for a period of five years.

5. The Authority initiated a mid-term review investigation vide Notification No. 7/3/2024-DGTR dated 29th March 2024. It was concluded that there was no need for re-quantification of anti-dumping duty applicable to producers in Thailand vide final findings notified on 26th March 2025.

6. Separately, anti-dumping investigation was conducted into imports of "Aluminium Foil of from China PR, initiated vide Notification No. 06/35/2023-DGTR dated 21st March 2024 The said investigation excluded aluminium foil below 5.5 micron from China PR, as the same was included in the product scope of the investigation concluded in 2021. Provisional duties were imposed vide Notification No. 06/35/2023-DGTR dated 28th August 2024. Ministry of Finance imposed the preliminary duties vide Notification No. 02/2025-Customs (ADD) dated 17th March 2025.

Thereafter, the Authority recommended definitive anti-dumping duties vide final findings dated 20th March 2025, which were then imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 15/2025- Customs (ADD) dated 19th June 2025. These duties are currently in force.

B. Product Under Consideration

7. The product under consideration, as in the original investigation, is Aluminium Foil 80 micron and below. As per the original investigation carried out by the Designated Authority, the product has been defined as under:

"Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packaging materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.

ii. Alu Alu Laminate

iii. Ultra-Light Gauge Converted

iv. Aluminium Foil Composite

v. Aluminium foil for capacitors width below 500 mm

vi. Etched or formed Aluminium Foils

vii. Aluminium composite panel

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil

ix. Aluminium Foil for beer bottle

x. Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad

xi. Adhesive Tapes

xii. Color coated aluminium foil

8. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act, 1975. Imports of the subject goods enter India under the following codes: 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910,76071994, 76071993 and 76071992. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

9. The Applicants have proposed the adoption of Product Control Numbers (PCNs) for the fair comparison between different types of products as was considered in the original investigation with one proposed change. It has been contended that 'alu alu laminated converted' is now being imported in the thickness range of 40-45 microns. Accordingly, the range of micron for 'alu alu laminated converted' has been proposed as 40-60 microns, whereas it was previously considered as 45-60 microns.

10. The PCN as suggested by the Applicants is given below. The interested parties can provide their comments on the PCNs for the purpose of this investigation within 10 days from the date of initiation of this investigation.

SN	Type of Foil	Micron Range	Bare / Converted	PCN Codes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alu Alu Stock/Foil	40-60	Bare Foil	ASBF
2	House Foil/Home Foil	8-22	Bare Foil	HFBF
3	Light Gauge (LG)	7- < 20	Bare Foil	LGBF
4	Medium Gauge (MG)	20-80	Bare Foil	MGBF
5	Semi Rigid Container (SRC)	29-80	Bare Foil	SRBF
6	Ultra-Light Gauge Bare	0- <7	Bare Foil	UGBF
7	Battery Foil	9-20	Bare Foil	BFBF
8	Capacitor	4.5 - 20	Bare Foil	CFBF
9	*Any other Bare Foil (not falling within S.No.1-8)		Bare Foil	OFBF
10	Cigarette Foil	5.5-7	Converted	CFCF
11	Alu Alu Converted / laminated	40-60	Converted	ASCF

12	House/home Foil Converted	8-22	Converted	HFCF
13	SRC Converted	29-80	Converted	SRCF
14	Medium Gauge (MG) Converted	20-80	Converted	MGCF
15	Light Gauge (LG) Converted	7-<20	Converted	LGCF
16	Battery Foil Converted	9-20	Converted	BFCF
17	Any other converted Foil (Not falling within S.No. 10-16)		Converted	OFCF
18	Ultra-Light Gauge Bare	0- <7	Converted	UGCF

C. Like Article

11. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicants. The two are technically and commercially substitutable. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries.

D. Subject Countries

12. The investigation being a sunset review, the scope of the subject countries is confined to the subject countries in the previous investigation, i.e. against the subject goods originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand.

E. Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months) and the injury investigation period will cover the periods from 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, and the POI.

F. Domestic Industry and Standing

14. The Application has been filed by M/s. Raviraj Foils Ltd., M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s. Shyam Sel and Power Ltd., M/s. Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., and M/s. SRF Altech Ltd. Apart from the applicant companies, there are 26 other domestic producers of the subject goods. The Authority has also reached out to these other known producers seeking information on their production, sales, capacity, and capacity utilisation. however, no information has been received as yet.

15. Raviraj Foils Ltd., Hindalco Industries Ltd., Shyam Sel and Power Ltd., and Shree Venkateshawara Electrocast Pvt. Ltd. have certified that they have not imported the subject goods and are not related to any exporter or producer of the subject goods in China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand or any importer of the subject goods in India. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., and SRF Altech Ltd. have imported the subject goods in the POI, however it has been seen that the imports are low in volume and insignificant in relation to their own production, imports, and consumption.

16. The Applicants have estimated total Indian production and the same has been considered appropriate at this stage. Thus, on the basis of information available and after due examination, the Authority notes that production by the Applicants constitutes "a major proportion" of total Indian production. Thus, the Applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the anti-dumping Rules.

G. Basis of Alleged Dumping

a. Normal Value for China PR

17. The domestic industry has claimed that China PR should be treated as a non-market economy, and the normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure I of the Rules. The domestic industry has cited Paragraph 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The domestic industry has claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

18. The domestic industry has thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. Normal value for China PR, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Normal Value for Indonesia and Malaysia

19. The Applicants have claimed that the data relating to price in Indonesia and Malaysia is not publicly available and were unable to obtain actual transaction price of the producers in Indonesia and Malaysia. The Applicants have further submitted that since there is a large variety of PCNs and a lack of dedicated codes, normal value could not be determined based on import price. This information is also not available with the Authority from any public source. The normal value for Indonesia and Malaysia has been estimated on the basis of best estimates of cost of production of subject goods in India along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value considering

the best estimates of the cost of production, based on facts available, after duly adjusting the selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

c. Normal Value for Thailand

20. The Applicants have submitted that raw material constitutes significant portion of the total cost of production of the subject goods. It has further been submitted that the primary raw material—aluminium foil stock—is sourced by Thai producers from affiliated entities in China which is a non-market economy. It has been claimed that the input cost of raw material procured from China should be rejected. The claim will be investigated further during the course of the investigation. The normal value for the exporters of Thailand has been estimated based on estimated cost of production in India, along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.

21. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value considering the best estimates of the cost of production, based on facts available, after duly adjusting the selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

d. Export Price

22. The Authority has computed the export price for the subject goods for the subject countries based on the DG Systems import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, and bank charges.

e. Dumping Margin

23. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries continues to be dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury and Causal Link

24. Information provided by the Applicants *prima facie* shows that the volume of imports continues to remain significant and are being made at dumped and injurious prices. It is also noted that the performance of the domestic industry continues to remain adverse. The domestic industry's profitability, cash profit and ROI have declined over the injury period. The market share of the Indian industry is low despite there being sufficient capacity to cater to the demand. The Applicants have claimed that there is likelihood of dumping and injury and have provided information on existing surplus capacities, export orientation, trade remedial measures by other countries, shifting of dumping from one source to another, continued price undercutting as factors establishing likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry should anti-dumping duty is allowed to lapse.

I. Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Investigation

25. Therefore, in view of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

J. Procedure

26. Principles as stated under Rules 6 of the AD Rules shall be followed in the present investigation.

K. Submission of Information

27. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the following addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in, with a copy to dir15-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.

28. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below.

29. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out below. Any party making and confidential submissions before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other parties.

30. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (hhttps://www.dgtr.gov.in) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

31. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in, with a copy to dir15-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no

information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the fact available on record in accordance with the AD Rules.

32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

33. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information on Confidential Basis

34. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.

35. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non- Confidential versions separately. In case the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.

36. Where the original documents are in a language other than English or Hindi, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.

37. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

38. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

40. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

41. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may. disregard such information.

44. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

45. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested parry as non-cooperative

O. Non-Cooperation

46. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority declare such interested party as non-cooperative and may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.03 12:07:02 +05'30'